15.1.23

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप.। उपलब्ध दस्तावेज, शजरा रिकार्ड आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ. पत्र किया गया। निर्णय को इजलास पढ़कर सुनाया गया।

पत्रावली तकमील व. अ. का. की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 62/2022

तारीख दायरा 03.06.2022

उनवान

दिलीप कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द जैन जाति जैन निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द जैन जाति जैन निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रोमिल जैन पुत्र स्व0 संजय जैन दत्तक पुत्र सुरेश जैन जाति जैन,
3. बीना जैन पत्नी स्व0 संजय जैन वर्तमान पति सुरेश जैन जाति जैन निवासी सांगोद हाल निवासी भानपुरा जिला मन्दसोर मध्यप्रदेश।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री अशोक जैन (वकील वादी)

दिनांक :– 15/11/25

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खाते व आधिपत्य की ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 16 की 7.50 हेक्टर, खसरा न0 30 की 0.08 हेक्टर, खसरा न0 31 की 0.02 हेक्टर, खसरा न0 32 की 2.35 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 9.95 हेक्टर आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खाते व आधिपत्य की ग्राम अमृतखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 263 की 1.16 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमियों में वादी का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी न0 1 का हिस्सा 1/3 तथा

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी न0 2 व 3 का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 है। वादी व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 ने उक्त कृषि भूमियों का आपसी सहमति से मौके पर विभाजन किया हुआ है, जिसके मुताबिक वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 अपने–अपने हिस्से की भूमि को मौके पर भांति पूर्वक काश्त कर रहे है। उक्त आराजी रेकार्ड में 9.95 हेक्टर है, जो मौके पर कुछ दबी हुई है तथा मौके पर स्थित आराजी अनुसार ही बंटवारा किया गया है। वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवारे के फलस्वरूप वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के हिस्से मे निम्न प्रकार से कृषि भूमियां आयी है –

हिस्सा वादी दिलीप कुमार

ग्राम	खसरा न0	रकबा हेक्टर
पामलाखेडी	16	7.50 हेक्टर में से 3.28 हेक्टर उत्तरी पूर्वी कोने पर कुए तक व कुए के सामने से पश्चिमी तरफ की
अमृतखेडी	263	1.16 हेक्टर में से 0.386 हेक्टर पूर्वी तरफ की

इस प्रकार कुल 3.66हेक्टर आराजी।

हिस्सा प्रतिवादी न0 1 अशोक कुमार

ग्राम	खसरा न0	रकबा हेक्टर
पामलाखेडी	16	7.50 हेक्टर में से 0.93 हेक्टर दक्षिण पूर्वी कोने पर कुए तक व कुए के सामने से पश्चिमी तरफ की
	32	2.35 हेक्टर सम्पूर्ण
अमृतखेडी	263	1.16 हेक्टर में से 0.386 हेक्टर पश्चिमी तरफ की

इस प्रकार कुल 3.66हेक्टर आराजी।

हिस्सा प्रतिवादी न0 2 व 3 रोमिल व बीना

ग्राम	खसरा न0	रकबा हेक्टर
पामलाखेडी	16	7.50 हेक्टर में से 3.29 हेक्टर उत्तर दक्षिण पश्चिमी
अमृतखेडी	263	1.16 हेक्टर में से 0.386 हेक्टर मध्य की

इस प्रकार कुल 3.67हेक्टर आराजी।

वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के खाते व कब्जे की कृषि भूमियों में ग्राम पामलाखेडी तहसील सांगोद के खसरा न0 30 की 0.08 हेक्टर भूमि मौके पर रास्ते के रूप मे मौजूद है, जो कि रास्ते के ही काम आ रही है। इसी प्रकार खसरा न0 31 की 0.02 हेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

भूमि गै. मु. कुए के रूप मे मौजूद है, जिसे वादी व प्रतिवादी क्रम 1ता 3 हिस्से अनुरूप मौके पर उपयोग उपभोग कर रहे है, प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के हिस्से मे आयी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग के लिए वादी व प्रतिवादी न0 1 ने अपने हिस्से की भूमि में से मौके पर रास्ता छोडा हुआ है, जो कि यथावत रहेगा, उक्त कृषि भूमियां शामलाती है, जिसका पूर्व मे विभाजन कभी नहीं हुआ है, उक्त कृषि भूमियों मे प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व हिस्सा है। इससे पूर्व विभाजन के लिए लेण्ड होल्डर से किसी भी प्रकार की सहमति प्राप्त नहीं की है। उक्त कृषि भूमियों को मौके पर काश्त करने में वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, परन्तु उक्त कृषि भूमियॉ भामलाती खाते मे दर्ज होने की वजह से वादी अपने हिस्से की कृषि भूमियो का विकास कार्य करने मे स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा है। इसलिए उसने उक्त कृषि भूमियों के विभाजन के लिए उक्त वाद विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी न0 1 ता 3 न्यायालय हाजा में उपस्थित आए तथा प्रकरण में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र अनुसार दावा स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी सं. 4 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। इकबाली जवाब प्रस्तुत होने के कारण प्रकरण में तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। उक्त प्रकरण मे बहस सुनी गई, जिसमें वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित किये गये कथनो को दौहराया गया तथा वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है आदेश दिया जाता है कि –

ग्राम पामलाखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 16 की 7.50 हेक्टर, खसरा न0 30 की 0.08 हेक्टर, खसरा न0 31 की 0.02 हेक्टर, खसरा न0 32 की 2.35 हेक्टर कुल किता 4 की कुल 9.95 हेक्टर आराजी एवं ग्राम अमृतखेडी पटवार हलका कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 263 की 1.16 हेक्टर आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को आपसी सहमति से निम्न हिस्से अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है –

हिस्सा वादी दिलीप कुमार –

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम	खसरा न0	रकबा हेक्टर
पामलाखेडी	16	7.50 हेक्टर में से 3.28 हेक्टर उत्तरी पूर्वी कोने पर कुए तक व कुए के सामने से पश्चिमी तरफ की
अमृतखेडी	263	1.16 हेक्टर में से 0.386 हेक्टर पूर्वी तरफ की

इस प्रकार कुल 3.66हेक्टर आराजी।

हिस्सा प्रतिवादी न0 1 अशोक कुमार –

ग्राम	खसरा न0	रकबा हेक्टर
पामलाखेडी	16	7.50 हेक्टर में से 0.93 हेक्टर दक्षिण पूर्वी कोने पर कुए तक व कुए के सामने से पश्चिमी तरफ की
	32	2.35 हेक्टर सम्पूर्ण
अमृतखेडी	263	1.16 हेक्टर में से 0.386 हेक्टर पश्चिमी तरफ की

इस प्रकार कुल 3.66हेक्टर आराजी।

हिस्सा प्रतिवादी न0 2 व 3 रोमिल व बीना –

ग्राम	खसरा न0	रकबा हेक्टर
पामलाखेडी	16	7.50 हेक्टर में से 3.29 हेक्टर उत्तर दक्षिण पश्चिमी
अमृतखेडी	263	1.16 हेक्टर में से 0.386 हेक्टर मध्य की

इस प्रकार कुल 3.67हेक्टर आराजी।

उक्तानुसार आराजी का विभाजन करने की घोषणा की जाती है। घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक दर्ज किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावे। वाद व्यय वादी स्वंय वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 15/1/25 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner